संख्या-02/2026/46/78-2-2026-ई-1736393

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग
कानपुर, उ0प्र0।

**आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2** **लखनऊ: दिनांक:11 फरवरी,2026**

विषय: प्रदेश सरकार की शासकीय सेवाओं को आमजनमानस को सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल का विकास करते हुये ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने हेतु धनराशि रू0-58,79,350.00 का वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-Ceg/P/9/51/I/278/2026 दिनांक 06-01-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार की शासकीय सेवाओं को आमजनमानस को सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल का विकास करते हुये ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने हेतु वर्ष 2025-26 के बजट अनुदान संख्या-2852-उद्द्योग विभाग-31-ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल-3102-पोर्टल पर सेवाओं पर विस्तार हेतु सर्विस इंटीग्रेटर का चयन 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0-65,00,000.00 के सापेक्ष धनराशि रू0-58,79,350.00 (रूपये अठ्ठावन लाख उन्यासी हजार तीन सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। भुगतान से पूर्व राज्य समन्वयक, सीईजी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27-03-2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें तथा किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को (सक्षम स्तर) द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक,उद्योग, कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का प्रदेश सरकार की शासकीय सेवाओं को आमजनमानस को सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल का विकास करते हुये ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने के लिए भुगतान हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
11. राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, शानसादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व राज्य समन्वयक, सीईजी का होगा।
13. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए राज्य समन्वयक, सीईजी जिम्मेदार होगें।
14. राज्य समन्वयक, सीईजी द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से करा लिया जायेगा तथा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 58,79,350.00 (रुपये अट्ठावन लाख उनासी हजार तीन सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072023102 पोर्टल पर सेवाओं में विस्तार हेतु सर्विस इंटीग्रेटर का चयन मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमतीनगर, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in